

०५^०/_{२३}

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी की अप्रार्थी गण के नोटिस तामील खरवाने हेतु बार-बार अवसर दिने जाने के उपरान्त भी नोटिस तामील नहीं खरवाने पर पत्रावली आदेश ७ निम्न ५ सी.पी.सी. के तहत दवारीज की जाती है। पत्रावली केशम सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर कारवील करतर है।

↓

उपखण्ड अधिकारी, चिडावा